

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 जून 2015—ज्येष्ठ 27, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2015

क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई, इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3 दिनांक 29 अक्टूबर 2014 के द्वारा राज्य सरकार ने टीकमगढ़ जिले की तहसील पृथ्वीपुर में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये पृथ्वीपुर में पृथक मंडी स्थापित करने की घोषणा की थी।

अतएव, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में टीकमगढ़ जिले की तहसील पृथ्वीपुर के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये पृथ्वीपुर में पृथक मण्डी स्थापित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 17 जून 2015

क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

Bhopal, the 17th June 2015

No. D-15-20-2014-XIV-3.—WHEREAS, *vide* this department Notification No. D-15-20-2014-XIV-3, dated 29th October 2014 issued under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a Seperate market

at Prithivipur for regulating the purpose and sale of the Agricultural produce mentioned in the shchedule of the said Act, including all Revenue and Forest villages of Tehsil Prithivipur in Tikamgarh district.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby establish a separate market at Prithivipur for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the act, including all revenue and forest villages of the Prithivipur Tehsil in Tikamgarh district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2015

क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (4) उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1075-10964-चौदह-1, दिनांक 21 फरवरी 1969 द्वारा जिला टीकमगढ़ की तहसील निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर के मंडी क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-20-2014-चौदह-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 द्वारा टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर तहसील में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है) को विपारित किया था।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 71की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से “उक्त मंडी क्षेत्र” को टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर मंडी के “उक्त क्षेत्र से” विपारित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 17 जून 2015

क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंब्यक अधिसूचना दिनांक 17 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव।

Bhopal, the 17th June 2015

No. D-15-20-2014-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 1075-10964-XIV-1, dated 21st February 1969 issued under the provisions of Section 3 of Sub-Section (4) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government here by regulated the pruchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Niwari and Prithivipur in Tikamgarh District, (here in after referred to as the “said market area”).

AND, WHEREAS by this department Notification No. D-15-20-2014-XIV-3, dated 29th October 2014 issued under the provision of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has signifies it's intention to establish the said Market area by split up there from the area comprising of villages situated Prithivipur Tehsil of Tikamgarh district, (here in after refrrred to as the said area).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krish Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by establish a seperate market at Prithvipur by splitting the "said market area" from the "said area."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2015

क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंबंधिक अधिसूचना दिनांक 17 जून 2015 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, पृथ्वीपुर के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती हैः—

स्थान

नगर पंचायत पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.217 हेक्टर भूमि का क्षेत्रः—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	1/2	1.724
2	4687/147	1.259
3	346/3	0.361
4	347/3	0.969
5	348/3	0.120
6	346/1	0.081
7	347/1	1.011
8	348/1	0.198
9	359/1	0.093
10	388/1/1	0.401
योग . .		6.217

जिसकी सीमाएँ

उत्तर में—कुशवाह की कृषि भूमि.

दक्षिण में—64, कालोनी बस्ती.

पूर्व में—निवाड़ी-पृथ्वीपुर सड़क.

पश्चिम में—धोबियों की कृषि भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2015

क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंबंधिक अधिसूचना दिनांक 17 जून 2015 को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 17th June 2015

No. D-15-20-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Prithivipur has been established by this department's Notification even dated 17th June 2015 shall be market yard namely:—

PLACE

An area of 6-217 Hectare's land of below mentioned Khasra number at Nagar Panchayat Prithivipur in Tehsil Prithivipur of District Tikamgarh.

S. No.	Khasra No.	Area (In Hector)
(1)	(2)	(3)
1	1/2	1.724
2	4687/147	1.259
3	346/3	0.361
4	347/3	0.969
5	348/3	0.120
6	346/1	0.081
7	347/1	1.011
8	348/1	0.198
9	359/1	0.093
10	388/1/1	0.401
Total ..		6.217

BOUNDED BY

On the North by—Agriculture Land of Kuswaha.

On the South by—64, Residency Colony.

On the East by—Niwari-Prithivipur Road.

On the West by—Agriculture Land of washerman.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2015

क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 जून 2015 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) नगर पंचायत पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
 - (1) दुमदुमा (2) जलन्थर (3) मवई (4) बछोड़ा (5) करगुंआ (6) लड़वारी (7) बिन्दपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2015

क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव।

Bhopal, the 17th June 2015

No. D-15-20-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even Number, dated 17th June 2015 the following area of Prithivipur of district Tikamgarh shall be market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Nager Panchayat Prithivipur in Tehsil Prithivipur of District Tikamgarh.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely:—
 - (1) Dumduma (2) Jalandhar (3) Mawai (4) Bachhoda (5) Kargona (6) Ladawari (7) Bindpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.